

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-378/15**  
**संस्थापित दिनांक-17.11.2015**  
Filling no. 235103001702015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- शंकर सिंह यादव पुत्र नारायण यादव उम्र 45 साल निवासी- ग्राम बरेडा तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0 .....आरोपी

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 28.08.2017 को घोषित)**

**01-** आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 354, 324 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 01.09.2015 को समय सुबह करीब 5 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम बडेरा में अथाई वाला खोडा के पास फरियादिया 'क' (यौन अपराध से संबंधित मामला होने से फरियादी/आहत को फरियादी 'क' से संबोधित किया जावेगा) जो कि एक स्त्री है, उसकी बुरी नियत से कोहरी भरकर व छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादी/आहत 'क' के साथ झूमा-झपटी कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

**02-** प्रकरण में यह स्वीकृत है कि फरियादी 'क' द्वारा आरोपी से दिनांक 24.08.2017 को राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया था जो विधि अनुसार शमनिय न होने से निरस्त कर दिया गया।

**03-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया 'क' ने अपने ससुर भगवान सिंह के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 01.09.2015 को सुबह करीब 5 बजे वह लोटा लेकर लेट्रिंग करने जा रही थी तभी अथाई वाला खोडा के पास उनके गाँव का शंकर पुत्र नारायण आया और उसको बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया, कोहरी भरकर उसकी छाती दबा दी, वह चिल्लाई तो उसका लडका मोनू और लडकी पूजा दौड़कर आ गई तभी शंकर यादव उसे छोड़कर भाग गया फिर उसने पूरी घटना घर आकर अपने ससुर भगवान सिंह व देवर उदयराज को बताई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका

बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04—** अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना, रंजिशन झुठा फसाया जाना तथा बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-**

<b>1.</b>	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.09.2015 को समय सुबह करीब 5 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम बडेरा में अथाई वाला खोडा के पास फरियादिया 'क' जो कि एक स्त्री है, उसकी बुरी नियत से कोहरी भरकर व छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
<b>2.</b>	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादिया 'क' के साथ झूमा-झपटी कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**06—** विचारणीय प्रश्न क्र० 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादिया 'क' अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब एक साल पूर्व की सावन के महीने की है। जब वह सुबह 6 बजे लेट्रिंग करने अथाई वाले ठोडा के पास गई थी तो आरोपी ने उसे रास्ते में पकड़ लिया था और उसके साथ खींचा तानी की थी, जब वह चिल्लाई तो उसकी लडकी पूजा और लडका मौनू आ गये थे, जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया था। 'क' अ०सा०1 का कहना है कि आरोपी ने उसे क्यों पकड़ा था वह नहीं बता सकती कि वह उसे मारना चाहता था या कुछ और करना चाहता था।

**07—** अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी 'क' अ०सा०1 का पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 पर अंगुठा निशानी होने से उक्त रिपोर्ट पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने वैसी रिपोर्ट लिखाना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि वह 10 बजे रिपोर्ट करने गई थी और 3 बजे तक रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट करने वह पहले राजघाट चौकी गये थे उसके बाद चंदेरी थाने गये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया कि जब वह रोती हुई घर पहुँची तो उसके पति और दोनो बच्चे पूजा और मोनू उसे घर मिले थे और उसे घटना के बारे में घर पर बताया था, जबकि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी कु० पूजा अ०सा०2 एवं मोनू यादव अ०सा०3 ने उनके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि जब उनकी मां लेट्रिंग करने गई थी तो मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर उक्त दोनो लोग घटना स्थल

पर पहुँच गये थे और उन्होंने देखा कि आरोपी उनकी मां को पकड़े हुए था।

**08—** भगवान सिंह अ0सा05 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी और फरियादी को जानता है। फरियादी 'क' उसके बेटे की पत्नी है। उक्त साक्षी का कहना है कि फरियादी और आरोपी के मध्य किस बात पर से झगडा हुआ था तो शंकर सिंह ने उसकी बहू 'क' से कहा था कि उसके घर के आगे से नहीं निकलो। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि जब घटना वाले दिन वह सुबह 5 बजे बाखर में भैंस लगाने गया था तब उसका पोता मोनू उसे बुलाने आया।

**09—** भगवान सिंह अ0सा05 ने इस बात को भी स्वीकार किया कि मोनू ने उसे बताया था कि मां को शंकर ने पकड़ लिया है तथा इस बात को स्वीकार किया कि जब वह घर पहुँचा तो बहू 'क' ने उसे बताया था कि अखाई वालो ठोडा के पास जब वह लोटा लेकर जा रही थी तब गाँव के शंकर पुत्र नारायण ने उसे बुरी नियत से उसके दोनों हाथ पकड़ लिये तथा छाती दबा दी थी तथा यह भी बताया था कि झुमा झटकी में उसके हाथ की चुड़ी टूट गई थी। जप्ती के साक्षी बल्लू अ0सा06 तथा रवि अ0सा07 ने आरोपी एवं फरियादी को जानने वाली बात व्यक्त की एवं जप्त पंचनामा प्र.पी.3 के क्रमशः ए से ए एवं बी से बी भागो पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया, किन्तु उक्त साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया कि पुलिस के द्वारा जप्ती की कार्यवाही उनके समक्ष की गई थी।

**10—** मंजू मखेनिया अ0सा08 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह दिनांक 01.09.2015 को थाना चंदेरी में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थी और उक्त दिनांक को फरियादी 'क' की शिकायत पर से आरोपी शंकर के विरुद्ध धारा 354 भा0द0वि0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्र.पी.1 है तथा फरियादी 'क' को मेडिकल परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल चंदेरी भेजा था एवं घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 4 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे। जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्र.पी. 3 व 5 तैयार किया जाना व्यक्त किया।

**11—** फरियादिया 'क' अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में भी व्यक्त किया कि आरोपी द्वारा उसे पीछे से पकड़ा गया था। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के दौरान यह बताया है कि फरियादिया 'क' ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 के 7 वीं पक्ति में यह व्यक्त किया है कि वह यह नहीं देख पाई कि किसने पकड़ा है, जिससे स्पष्ट है कि घटना के समय फरियादिया ने घटना कारित करने वाले व्यक्ति को नहीं देखा है। किन्तु फरियादिया 'क' ने उसके मुख्य परीक्षण में प्र.पी. 1 के अनुसार रिपोर्ट लेखबद्ध कराया जाना व्यक्त किया है तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में भी यह व्यक्त किया है कि आरोपी द्वारा उसे पीछे से पकड़ा गया था।

**12—** फरियादिया 'क' का स्पष्ट यह कहना है कि जब आरोपी द्वारा उसे पीछे से

पकड़ा था तब उसे नहीं देख पाई थी। सार्वभौमिक नियम है कि हम पीछे का नहीं देख सकते हैं, जिससे स्पष्ट है कि जब फरियादिया 'क' को पीछे से पकड़ा गया तब वह आरोपी को नहीं देख पाई थी, किन्तु फरियादिया 'क' आरोपी को भली भाँति जानती है। फरियादी 'क' अ0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी से उसकी बुराई चल रही है, किन्तु केवल बुराई चलने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि फरियादिया 'क' द्वारा आरोपी को रंजिशन झुठा फसाया गया हो तथा उक्त संबंध में न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं है कि फरियादिया द्वारा आरोपी को रंजिशन झुठा फसाया गया हो।

**13—** प्रकरण के अवलोकन से फरियादी 'क' अ0सा0 1 के कथन प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रहना दर्शित हैं। फरियादी 'क' अ0सा0 1 के अनुसार अभियुक्त द्वारा उसे रास्ते में पकड़ लिया था और उसके साथ खींचातानी की थी। उक्त कथन का सारतः समर्थन कु0 पूजा अ0सा0 2 एवं मोनू यादव अ0सा0 3 के कथनों से भी होता है, जिनके अनुसार घटना स्थल पर पहुँचने पर उनके द्वारा फरियादी 'क' को आरोपी पीछे से पकड़े हुए था। फरियादी 'क' अ0सा0 1 के अखण्डनीय एवं कु0 पूजा अ0सा0 2 व मोनू यादव अ0सा0 3 के कथनों के आधार पर यह समक्ष आता है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी को पीछे से पकड़ लिया।

**14—** धारा 354 भा0द0सं0 के अंतर्गत किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुये कि तद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उक्त स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना प्रमाणित करना आवश्यक हैं। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादी के पीछे से आकर पकड़ना एवं खींचातानी किया जाना एवं चिल्लाना प्रमाणित है।

**15—** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामकृपाल वि0 मध्य प्रदेश राज्य, ए0आई0आर0 2007, एस0सी0 सप0 49 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लज्जा भंग किये जाने के संबंध में यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य किसी स्त्री की शालीनता को चौकाने अथवा शीलभंग करने में सक्षम हैं। प्रकरण की परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य किसी भी स्त्री के शालीनता के भाव को चौकाने एवं शीलभंग कारित करने हेतु पर्याप्त हैं। फरियादी के अनुसार अभियुक्त द्वारा उसको पकड़ने एवं खींचातानी किये जाने पर उसके द्वारा चिल्लाया गया था। फरियादी की उक्त प्रतिक्रिया भी उसकी शालीनता एवं निजता के भंग होने की परिचायक है। अतः उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी 'क' की लज्जा भंग कारित करने के आशय से फरियादी के पीछे से आकर पकड़ना एवं खींचातानी कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। किन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में किसी भी साक्षी द्वारा यह व्यक्त नहीं किया है कि आरोपी द्वारा फरियादिया की स्वेच्छया उपहति कारित की है। यद्यपि डॉ. आर.पी.शर्मा अ0सा04 द्वारा उनक कथनों में व्यक्त किया कि फरियादी 'क' की दोनों कलाईयो के पीछे रेखाकार खरोच थी जिसका आकार 1 गुणा 1/4 इंच था जोकि धारदार वस्तु के किनारे या नोक से आना संभव है। किन्तु उक्त

चोट के संबंध में स्वयं फरियादी या अन्य किसी अभियोजन साक्षी की साक्ष्य में यह कथन नहीं किये गये हैं कि उक्त चोट आरोपी द्वारा स्वेच्छया पूर्वक फरियादी 'क' को पहुँचाई गई।

**16—** उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा फरियादिया 'क' के साथ झुमा झटकी कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की किन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 01.09.2015 को समय सुबह करीब 5 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम बडेरा में अथाई वाला खोडा के पास फरियादिया 'क' जो कि एक स्त्री है, उसकी बुरी नियत से कोहरी भरकर व छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त को धारा 354 भा0द0सं0 के संबंध में दोषसिद्ध पाया जाता है।

**17—** प्रकरण की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं महिला के विरुद्ध अपराध को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

**पुनश्च:**

**18—** अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी का बुरी नियत से कोहरी भरकर व छाती दबाकर उसपर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अभियुक्त/दोषी को कारावासीय सजा एवं अर्थदण्ड दोनों से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त/दोषी को धारा 354 भा0द0सं0 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावें।

**19—** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

20- प्रकरण में जप्तशुदा 5 टूटी हुई चूड़ियों के लाल रंग के टूकड़े मुल्यहीन हाने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावे, अपील होने पर माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

21- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0